न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : निगरानी–शाजापुर / भू0रा0 / 2018 / 5663 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 7–9–2018 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण कमांक 133 / 2017–18 अपील

लक्ष्मीनारायण पुत्र मुँशीलाल पंवार
ग्राम बुढलाय तहसील गुलानी
जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शाजापुर ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श
(आज दिनांक 18– 4 –2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 133/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-9-2018 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने ग्राम बुड़लाय तहसील गुलाना स्थित भूमि सर्वे कमांक 1896 रकबा 0.24 हैक्टर पॅजीकृत विकय पत्र दिनांक 4-8-2014 से कय की, जिस पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 23 आदेश दिनांक 6-8-2014 से नामान्तरण किया गया। पटवारी हलका नंबर 16 ग्राम बुड़लाय ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 16 पर दिनांक 8-3-16 को इस आशय की प्रविष्टि कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की कि ग्राम बुड़लाय की भूमि सर्वे कमांक

1986 रकबा 0.24 है. लगानी 1–40 पै. का मेरे व्दारा संशोधन पंजी कमांक 23 दि. 6–8–14 से एक नामांतरण प्रस्तुत करके श्रीमान के आदेश दिनांक 14–10–2014 से नामान्तरण आदेश करवाया गया था। तत्समय ग्राम पंचायत , सरपंच , सचिव , कोटवार और अन्य लोगों से भूमि के बारे में विस्तृत पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके व्दारा कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया था। वर्तमान में गिरदावरी करते समय ज्ञात हुआ कि उक्त खाना क0 3 में दर्ज विवरण भूमि मूल रूप से भूदान धारक की थी, जब हस्तलिखित रिकार्ड वर्ष 2009 में कम्प्यूटरीकृत हुआ तब टंकण त्रृटि के कारण भूदान शब्द हट गया, जिससे उक्त भूमि सामान्य भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हो गई/चुकी उक्त भूमि भूदान धारक के तहत थी इसलिये लिपिकीय त्रृटि के कारण भूलवश रजिस्ट्री हो गई। उसे देखते हुये उक्त केता का नामान्तरण खारिज करने की कृपा करें। पटवारी व्दारा तहसीलदार गुलाना के समक्ष प्रस्तुत इसी प्रविष्टि दिनांक 8–3–16 पर तहसीदार गुलाना ने आदेश दिनांक 11–4–16 अंकित करते हुये इस प्रकार निर्णय लिया।

भूमि पटटे की शर्तो के उल्लंघन करके बेचने के कारण म0प्र0शासन का हक सिद्व होता है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर म0प्र0शासन का नाम दर्ज हो। विधिवत अमल करें।

तहसीदार गुलाना के आदेश दिनांक 11–4–16 के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर ने प्रकरण कमांक 137/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–3–17 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 133/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–9–2018 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पटवारी हलका नंबर 16 ग्राम बुड़लाय की ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 16 पर दिनांक 8–3–16 को की गई प्रविष्टि का अवलोकन किया गया, जिस पर तहसीलदार का निम्नवत् आदेश है :–

भूमि पटटे की शर्तो के उल्लंघन करके बेचने के कारण म0प्र0शासन का हक सिद्व होता है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर म0प्र0शासन का नाम दर्ज हो। विधिवत अमल करें।

जबकि हलका पटवारी स्पष्ट रूप से इस प्रकार की टीप दे रहा है कि ग्राम बुड़लाय की भूमि सर्वे कमांक 1986 रकबा 0.24 है. लगानी 1–40 पै. का मेरे व्दारा संशोधन पंजी कमांक 23 दि. 6–8–14 से एक नामांतरण प्रस्तुत करके श्रीमान के आदेश दिनांक 14–10–2014 से नामान्तरण आदेश करवाया गया था। विचार योग्य है कि क्या तहसीलदार प्रकरण दर्ज किये बिना एंव हितबद्व पक्षकारों को सूचना दिये बिना एंव सक्षम अनुमति लिये बिना स्वयं् के व्दारा अथवा पूर्वाधिकारी व्दारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 14–10–2014 को स्वस्तर से निरस्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में व्यवस्था दी गई है कि :–

> यदि कलेक्टर या बंदोवस्त अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो चाहे स्वयं् उसके व्दारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी व्दारा पारित किया गया हो, पुर्नविलोकन करने की प्रस्थापना करता है तो वह पहले उस प्राधिकारी की, जिसके कि वह ठीक अधीनस्थ है लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा।

विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार गुलाना ने सक्षम अनुमति प्राप्त किये बिना ही पटवारी व्दारा नामान्तरण पंजी पर की गई अधिकारविहीन प्रविष्टि पर पुनरावलोकन आदेश दिनांक 14–10–2014 पारित करने में विधि का अनुसरण नहीं किया है जिसके कारण तहसीदार गुलाना का नामान्तरण पंजी पर दिया गया आदेश दिनांक 11–4–16 विधि के प्रभाव से शून्यवत् होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के कम में पटवारी हलका नंबर 16 ग्राम बुड़लाय की की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 16 पर दिनांक 8–3–16 को हलका पटवारी व्दारा की गई प्रविष्टि एंव तहसीदार गुलाना के आदेश दिनांक 11–4–16 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 11–4–16 पारित करने के पूर्व हितबद्व पक्षकारों को सूचना जारी नहीं की है एंव उन्हें सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 (एक) इस प्रकार है –

> **धारा 51 (एक) – किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्व पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो।**

तहसीदार गुलाना ने नामान्तरण पंजी पर आदेश दिनांक 11–4–16 अंकित करने के पूर्व भूदान भूमिधारी को एंव आवेदक को सुनवाई के लिये किसी प्रकार का सूचना पत्र जारी नहीं किया है, जिसके कारण तहसीदार गुलाना का आदेश दिनांक 11–4–16 नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है एंव इन तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर व्दारा एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन आदेश पारित करते समय ध्यान न देने की भूल की गई है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण कमांक 133/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–9–2018 , अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर व्दारा अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर व्दारा प्रकरण कमांक 137/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–3–17 तथा तहसीदार गुलाना व्दारा नामान्तरण पंजी पर दिया गया आदेश दिनांक 11–4–16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर